

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा मा/माध्य/माध्य-द/समसा विविध/2018/365

दिनांक : 30/01/20

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।


विषय :- सत्र 2019-20 शगुनोत्सव दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्र क्रमांक: रा.स्कूल. शि.प./जय /गुणवत्ता /शगुनोत्सव/2019-20/8985 दिनांक: 3/01/2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा समस्त राजकीय एवं राजकीय अनुदानित विद्यालयों का सेन्सस आधारित सघन विद्यालय अवलोकन करने हेतु शगुनोत्सव कार्यक्रम संचालित किया जाना है। गत वर्षों में विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न नवाचार किये गये हैं, जैसे कि यू-डाइस+, Performance Grading Index, विद्यालयों की GIS मैपिंग इत्यादि। इन विभिन्न नवाचारों द्वारा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं गुणवत्ता सम्बन्धित डाटा का आकलन किया जाता है। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का आकलन के पश्चात् विद्यालय स्तर पर सुविधाओं का अभाव व कमियां पाई जाती है। अतः विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय स्तर पर उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की जाँच तथा मॉनिटरिंग समय-समय पर किया जाना अति आवश्यक है।

शगुनोत्सव कार्यक्रम संचालित जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/संस्थाप्रधानों को यह निर्देशित करें कि वे शगुनोत्सव कार्यक्रम के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोपरि।


(हिमांशु गुप्ता)
I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

शगुनोत्सव दिशा – निर्देश सत्र 2019–20

परिदृष्टि :-

1. समस्त राजकीय एवं राजकीय अनुदानित विद्यालयों का सेंसस आधारित ऑडिट किया जाना है।
2. UDISE+, PGI, समग्र शिक्षा, मिड-डे मील एवं आपदा प्रबन्धन अन्तर्गत उपलब्ध सूचनाओं का अवलोकन किया जाना है।
3. इस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच नहीं की जानी है।
4. इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सभी विद्यालयों की ग्रेडिंग की जानी है।
5. कार्यक्रम पश्चात उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर योजना निर्माण एवं प्रबन्धन का कार्य किया जाना है।

उद्देश्य :-

1. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर समस्त राजकीय राजकीय अनुदानित विद्यालयों के स्तर की जाँच करना।
2. विभिन्न माध्यमों जैसे कि UDISE+ द्वारा संकलित किये गये डाटा की सत्यता की जाँच करना।
3. सभी स्तरों (विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य) पर विभिन्न मापदण्डों के आधार पर फीडबैक देना।
4. शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु साक्ष्य आधारित योजना का निर्माण कर विद्यालय में संबधित आवश्यकताओं पूर्ण करना।

प्रक्रिया :-

1. राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम गुणवत्ता शिक्षा प्रकोष्ठ अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्तर गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी को इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया।
2. जिले पर संचालित डाइट कार्यालय के प्रधानाचार्य को शगुनोत्सव कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्व हेतु जिला समन्वयक (District Coordinator) नियुक्त किया गया है।
3. विद्यालयों की जाँच हेतु भारत सरकार द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई है। इस प्रश्नावली के माध्यम से विद्यालय के अवलोकन का कार्य किया जायेगा।
4. सभी विद्यालयों की जाँच ऑनलाईन माध्यम से शगुनोत्सव मोबाईल एप द्वारा की जायेगी।
5. इस कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु राज्य, जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग प्रक का गठन किया जायेगा। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में उपरोक्त मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। (गठित मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ में तकनीकी समस्या समाधान हेतु आवश्यक रूप जिला MIS Incharge को शामिल किया जाये) ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा कार्या में उपरोक्त मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।
6. राज्य स्तर पर सभी जिला समन्वयकों (डाइट प्रधानाचार्य) का क्षमता संवर्धन अभिमुखीकरण किया जायेगा। जिला समन्वयकों द्वारा चिन्हित किये गये सर्वेयर्स का क्षमता संवर्धन कार्य किया जायेगा।
7. जिले पर संचालित डाइट कार्यालय में कार्यरत डाइट फैंक्लटी एवं ट्रेनी विद्यार्थियों के सर्वेयर्स के रूप में चिन्हित किया जायेगा। आवश्यकता होने पर ब्लॉक मुख्यालय, समग्र शिक्षा में कार्यरत ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को भी सर्वेयर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है।
8. शगुनोत्सव कार्यक्रम विद्यालयों में प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों हेतु जिला समन्वयक के साथ एक दिवसीय बैठक आयोजित करें। जिसमें कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा एवं योजना तैयार की जावें।

गतिविधि एवं प्रावधान

गतिविधि	विद्यालय का प्रकार	प्रावधान (राशि रूपयों में)	ईकाई
शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का सर्वे	प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	500	प्रति विद्यालय
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का सर्वे	प्रारम्भिक	600	प्रति विद्यालय
	माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय	800	प्रति विद्यालय
दो माह हेतु इन्टरनेट पैकेज (Unlimited)	प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	600	प्रति सर्वेयर 300 रु प्रति माह
सर्वेयरों द्वारा मोबाईल ऐप के उपयोग हेतु आवश्यक अभिमुखीकरण (जिला स्तर पर)	प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	500	प्रति व्यक्ति प्रति दिवस


कर्तव्य एवं दायित्व :-

जिला स्तर :-

1. जिला स्तर पर चयनित किये गये जिला समन्वयक द्वारा इस कार्यक्रम से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
2. जिला समन्वयक द्वारा विद्यालय निरीक्षण हेतु सर्वेयरों को विद्यालय आवंटित किये जायेंगे।
3. जिला समन्वयक द्वारा शगुनोत्सव अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षण हेतु निर्धारित टीए/डीए एवं इन्टरनेट हेतु राशि समस्त सर्वेयरों को सही समय पर प्रदान की जायेगी।
4. डाइट कार्यालय में कार्यरत डाइट फैंक्लटी, वं ट्रेनी एवं आवश्यकता होने पर ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को विद्यालयों की संख्यानुसार सर्वेयरों के रूप में चयनित किया जायेगा।
5. जिला समन्वयक द्वारा चयनित किये गये समस्त सर्वेयरों का जिलेवार अभिमुखीकरण कार्य सम्पादित किया जायेगा।
6. चयनित किये गये सर्वेयरों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा।
7. आवश्यकतानुसार यदि ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को सर्वेयर बनाया गया है तो चयनित ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति अपने जिले के किसी अन्य ब्लॉक के विद्यालयों का सर्वे करेंगे।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा जिले पर गठित मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के माध्यम से सभी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
9. जिले पर गठित मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा प्रति दिवस इस कार्य की मॉनिटरिंग की जानी है तथा सभी आवश्यक डाटा समय पर पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. मोबाईल ऐप एवं शगुनोत्सव वेब पोर्टल से संबंधित समस्त तकनीकी सहायता हेतु अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा जिला कार्यालय में कार्यरत जिला एमआईएस इन्चार्ज द्वारा सहयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।

ब्लॉक स्तर :-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जावें। गठित मानीटरिंग प्रकोष्ठ में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति एवं तकनीकी समस्या समाधान हेतु आवश्यक रूप से ब्लॉक ऑपरेटर को शामिल किया जायें।
2. ब्लॉक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा शगुनोत्सव कार्यक्रम की प्रति दिवस प्रगति रिपोर्ट को अद्यतन कर जिला समन्वयक को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को सर्वेयर बनाया गया है तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उसको स्वयं के ब्लॉक के विद्यालय सर्वे आवंटित नहीं किये जावें।


 उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर